दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

निर्णय आरक्षित :- 07.03.2023
निर्णय की तिथि :- 24.04.2023

आप.वि.वा.1352/2023 और आप.वि.आ. 5184/2023

मनोज कृष्ण आहूजा ....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री गोवर्धन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह सुश्री ज्योत्सना भूचर और श्री अनमोल सिंह, अधिवक्तागण।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य व अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री मनोज पंत, राज्य के अति.लो.अभि. सह उप.नि. भरत सिंह, थाना सनलाइट कॉलोनी।

कोरम :
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

<u>निर्णय</u>

<u>निर्णय की विषय सूची</u>

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि.....3

तर्कों का सारांश.....6

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि.....9

इस न्यायालय के समक्ष मुद्दे.....12

I. धारा 28 के तहत अपराधों का संज्ञान.....12

II. क्या पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत पुलिस जांच की अनुमति है?.....17

III. पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के तहत एक मामले में प्राथमिकी को रद्द करना.....23

अधिनियम के कुछ प्रावधानों और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता के संदर्भ में न्यायालय के विचार 29

I. अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का संयुक्त प्रयास.....30

II. न्यायालयों द्वारा कानूनों, व्यावहारिक कठिनाइयों और न्यायशास्त्र के परिणामी विकास का प्रभाव आकलन.....34

III. न्यायालयों द्वारा न्यायिक, संस्थागत और संवैधानिक अंकुश बनाम वास्तविक न्याय प्राप्त करने के लिए विधायिका द्वारा उपचार किए जाने हेतु अपरिभाषित क्षेत्रों को इंगित करना.....36

IV. अधिनियम के संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी करने की आवश्यकता के कारणों की पृष्ठभूमि : वास्तविक न्याय की खोज.....40

क. कन्या भ्रूण के लिए सुरक्षित गर्भ की आवश्यकता : सीधे लिंग-चयनात्मक गर्भपात से संबंधित लिंग-निर्धारण परीक्षण.....41

निष्कर्ष और निर्देश.....45

<u>न्या., सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा</u>

1. याचिकाकर्ता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (*इसमें इसके बाद 'दं.प्र.सं.'*), की धारा 482 के तहत दायर वर्तमान याचिका के माध्यम से गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 (*इसमें इसके बाद 'पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट'*) की धारा 3क/4/5/6/23/29 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस थाना सनलाइट कॉलोनी, नई दिल्ली में दर्ज प्राथमिकी संख्या 375/2018 और उससे निकलने वाली सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है।

<u>वास्तविक पृष्ठभूमि</u>

2. अभियोजन पक्ष द्वारा संक्षेप में निर्धारित मामला यह है कि जिला समुचित प्राधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी, रोहतक को कुछ डॉक्टरों द्वारा जीवन अस्पताल, नई दिल्ली में किए जा रहे भ्रूण के अवैध लिंग निर्धारण के बारे में एक सूचना मिली थी और उक्त जानकारी डॉ नितिन, राज्य कार्यक्रम अधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी (डीएफडब्ल्यू) को भेज दी गई थी, जिन्होंने तदनुसार संबंधित अधिकारियों को सूचित किया था। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, दिल्ली में संबंधित प्राधिकारी ने एसडीएम, डिफेंस कॉलोनी, दक्षिण पूर्वी दिल्ली की अध्यक्षता में जिला निरीक्षण निगरानी समिति (डीआईएमसी) दल, दक्षिण पूर्व जिला, नई दिल्ली और पीसी एंड पीएनडीटी दल, रोहतक को शामिल करते हुए एक संयुक्त छापेमारी दल का गठन किया था।

3. प्राप्त जानकारी के अनुसार, छापेमारी करने के लिए, दो प्रलोभन रोगियों यानी सुश्री मोनिका और डॉ. विजय कुमार को रोहतक से दिल्ली भेजा गया था, ताकि सुश्री 'एक्स' से मिल सकें, जो अवैध लिंग निर्धारण करने के रैकेट में शामिल थीं। सुश्री मोनिका को संयुक्त छापेमारी दल द्वारा 30,000 रुपये नकद दिए गए थे। जीवन अस्पताल के गेट नंबर 2 पर पहुंचने पर, प्रलोभन रोगी सुश्री 'एक्स' से मिले थे, जिन्होंने श्री विजय को पेट दर्द के लिए डॉक्टर से मिलने के बहाने किसी अन्य नाम यानी राहुल नाम से रिसेप्शन पर खुद को पंजीकृत करने का निर्देश दिया था। यह आरोप लगाया

गया है कि श्री विजय (राहुल) ने अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी टेस्ट (यूएसजी) के लिए 850 रुपये का भुगतान किया था और ओपीडी कार्ड और 850 रुपये की रसीद सुश्री 'एक्स' को सौंप दी थी, जो तब यूएसजी टेस्ट के लिए श्री विजय (राहुल) के बजाय सुश्री मोनिका को डॉ. मनोज कृष्ण आहूजा यानी वर्तमान याचिकाकर्ता के पास लेकर गई थीं। याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर सुश्री मोनिका का परीक्षण किया था और सुश्री 'एक्स' को रिपोर्ट दी थी, जिन्होंने सुश्री मोनिका को आगे खुलासा किया था कि भ्रूण का लिंग स्त्री था। इसके बाद, प्रलोभन रोगियों से संकेत प्राप्त होने पर, संयुक्त छापा मारने वाले दल ने छापा मारा था और प्रलोभन रोगी सुश्री मोनिका ने वर्तमान याचिकाकर्ता की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की थी जिसने उसका परीक्षण किया था। दल ने मौके पर अन्य औपचारिकताएं भी पूरी की थीं जैसे कि स्पॉट मेमो तैयार करना, पंचनामा आदि और अन्य संबंधित वस्तुओं के साथ तीन यूएसजी मशीनों को भी जब्त कर लिया गया था। यह आरोप लगाया गया है कि प्रलोभन रोगी सुश्री मोनिका द्वारा सुश्री 'एक्स' को 30,000 रुपये का भुगतान किया गया था, जिसमें से 14,000 रुपये उससे और 12,000 रुपये वर्तमान याचिकाकर्ता से बरामद किए गए थे। यह भी आरोप है कि याचिकाकर्ता के पास से विदेशी मुद्रा और भारतीय मुद्रा नोट भी बरामद किए गए थे। जैसा कि आरोप लगाया गया है, याचिकाकर्ता ने सुश्री मोनिका का कोई आईडी प्रूफ भी नहीं लिया था और न ही उन्होंने सहमति प्रपत्र 'एफ' भरा

था। इस छापे और बरामदगी के आधार पर, एसडीएम, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली ने थाना प्रभारी, सनलाइट कॉलोनी को एक हस्तलिखित शिकायत दी थी और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

4. 21.12.2018 को, याचिकाकर्ता, डॉ. शिखा और डॉ. रविंदर सभरवाल को जिला समुचित प्राधिकारी, दक्षिण पूर्व दिल्ली के कार्यालय से निलंबन आदेश-सह-कारण बताओ नोटिस मिला था, जिसके तहत पीसी और पीएनडीटी अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत शक्तियों के आधार पर, मेसर्स जीवन अस्पताल का पंजीकरण निलंबित कर दिया गया था। इसके अलावा, जिला समुचित प्राधिकारी ने उन्हें 2 दिनों के भीतर अपने जवाब प्रस्तुत करने के लिए भी कहा था कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए।

5. जांच के अनुसरण में, अभियोजन पक्ष द्वारा 26.02.2019 को अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ धारा 3क/4/5/6/23/29 पीएनडीटी अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए आरोप-पत्र दायर किया गया था। उक्त आरोप-पत्र यह कहते हुए समाप्त हो गया था कि अपराध के कुछ पहलुओं से संबंधित जांच अभी भी प्रगति पर है।

6. विद्वान महानगर दंडाधिकारी-07, दक्षिण पूर्व, साकेत न्यायालय, दिल्ली (*इसके बाद 'विचारण न्यायालय'*) द्वारा दिनांक 11.10.2019 के आदेश द्वारा मुख्य और पूरक आरोप-पत्र का संज्ञान लिया गया और याचिकाकर्ता को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया गया।

दिनांक 11.10.2019 के आदेश को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है :-

> "अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों पर विचार करते हुए, पीएनडीटी अधिनियम की धारा 3क/4/5/6/23/ 25/26/29 सहपठित उक्त अधिनियम के तहत विरचित नियम 9/17/18 सहपठित 120ख भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं।
>
> तदनुसार, पूर्वोक्त अपराधों का संज्ञान लिया जाता है :-
>
> अभियुक्त कविता और मनोज कृशाह आहूजा को आरोप-पत्र की प्रति प्रदान की गई।
>
> 05.11.2019 को प्रतियों की आपूर्ति के लिए पूरक आरोप-पत्र के स्तंभ संख्या 11 में उल्लिखित अभियुक्त यानी रविंदर सभरवाल को समन जारी किया जाए।"

7. वर्तमान प्राथमिकी दर्ज होने और आरोप-पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने से व्यथित, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के माध्यम से उक्त प्राथमिकी और उससे निकलने वाली सभी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की है।

<u>तर्कों का सारांश</u>

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जोरदार तर्क देते हैं कि दिनांक 11.10.2019 के आदेश में, विद्वान विचारण न्याायालय ने न केवल मुख्य और पूरक आरोप-पत्र का संज्ञान लिया, बल्कि पीसी एंड

पीएनडीटी अधिनियम के तहत परिकल्पित उचित और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना याचिकाकर्ता को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए समन जारी किया। यह कहा गया है कि मामले के अभिलेखों के अवलोकन मात्र से, वर्तमान मामले में स्पष्ट प्रक्रियात्मक खामियां और गैरकानूनी उल्लंघन हैं।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 28 के स्पष्ट अधिदेश के अनुसार, उपयुक्त प्राधिकारी या उसकी ओर से अधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा की गई किसी भी शिकायत के अभाव में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान नहीं लिया जा सकता था और अभियोजन पक्ष द्वारा दाखिल आरोप-पत्र के आधार पर लिया गया संज्ञान कानून में अनुमत्य और रक्षणीय नहीं था।

10. यह भी तर्क दिया जाता है कि पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम की धारा 17(4) में निहित प्रावधानों के अनुसार, केवल समुचित प्राधिकारी अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन के संबंध में जांच करने के लिए अधिकृत है और पुलिस की इसमें कोई भूमिका नहीं है। यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा 17, 17क, 20 और 30 के आधार पर समुचित प्राधिकारी को इस संबंध में पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह कहा गया है कि पुलिस पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराधों की जांच करने के लिए सक्षम नहीं है और चूंकि

वर्तमान मामले में, जांच का एक बड़ा हिस्सा पुलिस अधिकारियों द्वारा किया गया था, इसलिए यह अधिनियम की मंशा और भावना के खिलाफ है। आगे यह कहा गया है कि अधिनियम एक विशेष कानून है और अपने स्वयं के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, जो एक सामान्य कानून यानी दं.प्र.सं. पर अभिभावी होगा। यह भी कहा गया है कि गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) नियम, 1996 के नियम 18क(3) में (*इसमें इसके बाद 'पीसी & पीएनडीटी नियम'*) स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत आने वाले मामलों में पुलिस को शामिल नहीं किया जा सकता है, जिसकी विभिन्न चिकित्सा तकनीकों और उपकरणों द्वारा किए गए अपराधों, जिनके संबंध में संभवतः सामान्य पुलिस पूरी तरह से प्रवीण न हो, की प्रकृति को देखते हुए अच्छी तरह से विवेचना की जा सकती है। इस प्रकार, यह कहा गया है कि पुलिस द्वारा की गई संपूर्ण जांच दूषित हो गई है।

11. याचिकाकर्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से निलंबन आदेश-सह-कारण बताओ नोटिस कभी नहीं मिला था। यह कहा गया है कि 02.01.2019 को, डॉ. शिखा पर पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत कथित उल्लंघन में उनकी भूमिका के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था और भविष्य में अधिक सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का जवाब

असंतोषजनक पाया गया और इस तरह के निर्णय का कोई कारण नहीं बताया गया। आगे कहा गया है कि 13.03.2019 को अध्यक्ष, जिला समुचित प्राधिकार, रोहतक, द्वारा एक पत्र में स्पष्ट किया गया था कि अवैध लिंग निर्धारण के कथित रैकेट में किसी भी डॉक्टर की संलिप्तता के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली थी।

12. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्राथमिकी अपने वर्तमान रूप में सुनवाई योग्य नहीं है और प्राथमिकी में आरोप, अपने स्पष्ट अर्थ में लिए जाने पर भी, प्रत्यक्षतः किसी भी अपराध का गठन नहीं करते हैं और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इस प्रकार, दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों को लागू करते हुए और इस संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए रद्द किए जाने चाहिए।

13. दूसरी ओर, राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. वर्तमान याचिका का विरोध करते हैं और कहते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिए जा रहे संज्ञान के बाद, समुचित प्राधिकारी ने 02.09.2020 को इस मामले में उचित शिकायत दायर की थी। यह कहा गया है कि प्राथमिकी को रद्द नहीं किया जा सकता है क्योंकि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और यदि कोई दोष है, तो यह समुचित प्राधिकारी द्वारा धारा 28 के अनुसार शिकायत दर्ज किए जाने के बाद ठीक हो गया था।

14. राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. नेे आगे कहा है कि अधिनियम के तहत पुलिस की भागीदारी निषिद्ध नहीं है। यह भी कहा गया है कि पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत अपराध धारा 27 के तहत प्रदान किए गए प्रावधान के अनुसार संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय प्रकृति के हैं और संज्ञेय मामलों में गिरफ्तारी की शक्ति केवल पुलिस के पास निहित है क्योंकि पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के आधार पर समुचित प्राधिकारी में ऐसी कोई शक्ति निहित नहीं की गई है। यह जोरदार तर्क दिया जाता है कि पीसी एंड पीएनडीटी नियमों के नियम 18क(3) में शब्द '*जहां तक संभव हो*' यह दर्शाएगा कि अधिनियम के तहत मामलों की जांच करने और समुचित प्राधिकारी की सहायता करने में पुलिस की भूमिका से अपने आप में इनकार नहीं किया जाता है और अधिनियम की धारा 28 के अनुसार न्यायालयों द्वारा केवल संज्ञान लिया जाना है।

15. दोनों पक्षों की ओर से संबोधित तर्कों और उठाई गई दलीलों को विस्तार से सुना गया है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया गया है।

<u>ऐतिहासिक पृष्ठभूमि</u>

16. मामले के गुणागुण के आधार पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और इस न्यायालय के

समक्ष उठाए गए तर्कों के प्रकाश में, उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम पेश किया गया था और साथ ही उन उद्देश्यों, जिन्हें इसके अधिनियमन के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया था, की संक्षेप में समीक्षा और विश्लेषण करना उचित समझता है, चूंकि प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें कानून की व्याख्या का मुद्दा भी शामिल है, जिस पर इस अधिनियम के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विचार और व्याख्या की जानी चाहिए।

17. वर्ष 1994 में, प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और 01.01.1996 को लागू किया गया था। वर्ष 2003 में संशोधन के माध्यम से, अधिनियम के संक्षिप्त शीर्षक को 'गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम' में संशोधित किया गया था।

18. पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के अधिनियमन की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को अधिनियम के 'परिचय' में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है :-

> “हाल के दिनों में देश के शहरी क्षेत्रों में प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों का उपयोग करके भ्रूण का लिंग निर्धारित करने के लिए प्रसव पूर्व निदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस तरह के

केंद्र बहुत लोकप्रिय हो गए और उनकी वृद्धि जबरदस्त थी क्योंकि अधिकांश भारतीय परिवारों में बच्ची का खुले हाथों से स्वागत नहीं किया जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि ऐसे केंद्र कन्या भ्रूण हत्या के केंद्र बन गए। तकनीक का ऐसा दुरुपयोग स्त्री लिंग के खिलाफ है और महिलाओं की गरिमा और स्थिति को प्रभावित करता है। महिलाओं के कल्याण और उत्थान के लिए काम करने वाले विभिन्न संगठनों ने इस तरह की कुरीति का विरोध किया। इस तरह की तकनीकों के उपयोग को विनियमित करने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए निवारक दंड प्रदान करने हेतु एक कानून लाया जाना आवश्यक माना गया। इस मामले पर संसद में चर्चा हुई और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) विधेयक, 1991 लोक सभा में पेश किया गया। सितम्बर, 1991 में लोक सभा ने विचार-विमर्श के बाद उक्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का एक प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त समिति ने दिसंबर, 1992 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और समिति की सिफारिशों के आधार पर विधेयक को संसद में फिर से पेश किया गया।"

19. इस मुद्दे के मूल को 1970 और 80 के दशक में पाया जा सकता है, जब चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति ने जन्म से पहले भ्रूण के लिंग का निर्धारण करना संभव बना दिया था। पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम 1994 में लिंग-चयनात्मक गर्भपात की व्यापक प्रथा के जवाब में लागू किया गया था, एक ऐसी प्रथा जो पुरुष बच्चों के लिए झुकाव और कन्या भ्रूण हत्या की सामाजिक बुराई से प्रेरित थी, जिसके भारत में गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक स्रोत थे। पुरुष बच्चों के लिए लंबे समय से प्राथमिकता के कारण

लिंग-चयनात्मक गर्भपात की प्रवृत्ति पैदा हुई, जो बदले में, स्त्री-पुरुष अनुपात में महत्वपूर्ण गिरावट के लिए जिम्मेदार थी।

20. विधायिका के वास्तविक इरादे को किसी अधिनियम के उद्देश्य और कारणों के कथन से समझा और इसकी विवेचना की जा सकती है, जो आमतौर पर उस मुख्य कारण को बताता है जिसके लिए अधिनियमन लाया जाता है [देखें ***तमिलनाडु राज्य बनाम के. श्याम सुंदर*** *2011 8 एससीसी 737*]। इस प्रकार, पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन में अच्छी तरह से पाया जा सकता है, जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है :-

> "... भ्रूण के लिंग के निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों को प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है। तकनीकों का ऐसा दुरुपयोग स्त्री लिंग के खिलाफ भेदभावपूर्ण है और महिलाओं की गरिमा और स्थिति को प्रभावित करता है। ऐसी तकनीकों के उपयोग को विनियमित करने और इस तरह के अमानवीय कृत्य को रोकने के लिए निवारक दंड प्रदान करने के लिए एक कानून की आवश्यकता है।
>
> इस विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :-

(i) भ्रूण के लिंग के निर्धारण के लिए प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकों के दुरुपयोग का प्रतिषेध, जिससे कन्या भ्रूण हत्या होती है;

(ii) लिंग का पता लगाने या निर्धारण के लिए प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकों के विज्ञापन का प्रतिषेध;

(iii) विशिष्ट आनुवंशिक असामान्यताओं या विकारों का पता लगाने के उद्देश्य से प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकों के उपयोग की अनुमति और विनियमन;

(iv) पंजीकृत संस्थाओं द्वारा केवल कतिपय शर्तों के अधीन ऐसी तकनीकों के प्रयोग की अनुमति देना; और

(v) प्रस्तावित विधान के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड।

2. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है..."

21. पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम का उद्देश्य लिंग-चयनात्मक गर्भपात के लिए प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना और केवल चिकित्सा उद्देश्यों के लिए इन तकनीकों के उपयोग को विनियमित करना है।

22. अधिनियम के उद्देश्य को इसके लंबे शीर्षक से भी समझा जा सकता है, जो निम्नानुसार है :-

"गर्भाधान से पहले या बाद में लिंग चयन के निषेध के लिए और आनुवंशिक विकारों या उपापचयी विकारों या गुणसूत्री विकारों या कुछ जन्मजात

विकृतियों या लिंग संबंधी विकारों का पता लगाने के प्रयोजनों के लिए प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीकों के विनियमन के लिए और लिंग निर्धारण के लिए उनका दुरुपयोग कर कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए; और, इससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने हेतु एक अधिनियम।"

23. पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम किसी भी माध्यम से भ्रूण के लिंग का निर्धारण करना और किसी भी परीक्षण या प्रक्रिया को संचालित करना अवैध बनाता है जो लिंग के आधार पर भ्रूण के चयनात्मक गर्भपात का कारण बन सकती है। इस अधिनियम में प्रसव-पूर्व नैदानिक सेवाएं प्रदान करने वाले सभी नैदानिक केन्द्रों और क्लीनिकों के पंजीकरण और विनियमन का भी प्रावधान किया गया है।

24. बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अधिक कठोर प्रावधानों के प्रावधानों को शामिल करने के साथ 2003 में अधिनियम को और मजबूत किया गया। संशोधित अधिनियम ने उल्लंघन के लिए दंड में वृद्धि की और सभी अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों और मशीनों का पंजीकरण और निगरानी करना अनिवार्य कर दिया और अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य और राष्ट्रीय बोर्डों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया।

<u>इस न्यायालय के समक्ष मुद्दे</u>

I. <u>धारा 28 के तहत अपराधों का संज्ञान</u>

25. वर्तमान याचिका के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया मुख्य कानूनी मुद्दा यह है कि क्या विद्वान विचारण न्यायालय पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र के आधार पर पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम की धारा 28 के मद्देनजर इस अधिनियम के तहत अपराध का संज्ञान ले सकता था।

26. प्रारंभ में, पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम की धारा 28 पर ध्यान देना उचित होगा, जो पूरे विवाद के केंद्र में है। इसे निम्नानुसार उद्धृत किया गया है :-

> "**28. अपराधों का संज्ञान।**
>
> 1. कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय निम्न के द्वारा की गई शिकायत के -
>
> (क) संबंधित समुचित प्राधिकारी या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, या समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी;
>
> (ख) कोई व्यक्ति जिसने कथित अपराध के बारे में और न्यायालय में शिकायत करने के अपने इरादे के बारे में समुचित प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से कम से कम पंद्रह दिनों का नोटिस दिया है।
>
> स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजन के लिए, "व्यक्ति" में एक सामाजिक संगठन शामिल है।
>
> 2. महानगर दंडाधिकारी या प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी के अलावा कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत दंडनीय

किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

3. जहां उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत शिकायत की गई है, न्यायालय, ऐसे व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर, समुचित प्राधिकारी को ऐसे व्यक्ति को इसके कब्जे में रखे संबंधित अभिलेख की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दे सकता है।"

27. धारा 28 के अनुसार, महानगर दंडाधिकारी/प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लेने और मुकदमा चलाने के लिए सक्षम है।

28. धारा 28 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि (i) संबंधित समुचित प्राधिकारी, या (ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी, जैसा भी मामला हो, या (iii) संबंधित समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी, (iv) कोई व्यक्ति जिसने कथित अपराध के बारे में और न्यायालय में शिकायत करने के अपने इरादे के बारे में समुचित प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से कम से कम पंद्रह दिनों का नोटिस दिया है द्वारा शिकायत दर्ज करने पर ही न्यायालयों द्वारा अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान लिया जाएगा।

29. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, या तो समुचित प्राधिकारी द्वारा शिकायत शुरू की जा सकती है, या यहां तक कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी इस अधिनियम के तहत विचार किए गए उपयुक्त प्राधिकारी के

अलावा किसी अन्य अधिकारी को शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकृत कर सकती है, जिस पर संबंधित न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है। समुचित प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी ओर से शिकायत दर्ज करने की अपनी शक्ति भी प्रत्यायोजित कर सकता है जिसे उनके द्वारा अधिकृत किया गया हो। इसके अलावा, इन प्राधिकारियों या अधिकारियों के अलावा कोई व्यक्ति भी शिकायत शुरू कर सकता है, लेकिन केवल धारा 28(1)(ख) के संदर्भ में, और 'व्यक्ति' शब्द के दायरे में एक सामाजिक संगठन भी शामिल है।

30. इस प्रकार, पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम की धारा 28 को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि जहां तक अधिनियम के तहत किसी अपराध का संज्ञान लेने का संबंध है, न्यायालयों पर एक रोक मौजूद है, और यह केवल अधिनियम की धारा 28 के अनुसार ही लिया जा सकता है।

31. वर्तमान मामले में, दिल्ली में संबंधित जिला समुचित प्राधिकारी को जिला समुचित प्राधिकारी, पीसी एंड पीएनडीटी, रोहतक से एक अस्पताल में किए जा रहे अवैध लिंग-निर्धारण के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, और अपराधियों को पकड़ने के लिए एक संयुक्त छापा दल का गठन किया गया था। छापेमारी और तलाशी तथा इससे हुई बरामदगी के क्रम में एसडीएम, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली ने एक ऐसी शिकायत के रूप में, जिसमें एक

अपराध होने का खुलासा किया गया था, जिसकी पुलिस जांच की आवश्यकता थी, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर, पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम की धारा 3क/4/5/6/23/29 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच करने के बाद, पुलिस ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 173 के तहत आरोप-पत्र दायर किया था।

पिछली चर्चा में अधिनियम की धारा 28 के तहत विचार की गई प्रक्रिया पर चर्चा करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि जिस तरह से एक आरोप-पत्र पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया था, वह पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम के तहत परिकल्पित प्रक्रिया नहीं है। वर्तमान मामले में, दं.प्र.सं. की धारा 200 के तहत शिकायत के रूप में संबंधित उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज की जानी थी। चूंकि दं.प्र.सं. की धारा 173 के तहत दायर आरोप-पत्र पर संज्ञान लिया गया है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से इस अधिनियम की धारा 28 के तहत वर्जन के हाथों में है जो उसमे उल्लिखित तरीके से प्राप्त शिकायत के अलावा संज्ञान को वर्जित करता है| यह संज्ञान लेने के लिए भी *अनिवार्य* है कि उक्त उपयुक्त प्राधिकरण या इस तरह से अधिकृत व्यक्ति को वैध रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए।

33. दलीलों के दौरान, राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. ने वर्तमान

मामले में संज्ञान लिए जाने के लगभग एक साल बाद विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष जिला उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा दायर शिकायत की एक प्रति भी प्रस्तुत की थी, ताकि यह तर्क दिया जा सके कि अनियमितता, यदि कोई हो, ठीक हो गई है।

34. इसके विपरीत, यह इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है कि उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा 02.09.2020 पर दायर शिकायत एक अलग शिकायत मामले के रूप में दायर की गई थी, जिसे अलग से शि.मु.सं. 3778/2020 दर्ज किया गया है जो उसी विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है।

35. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, चूंकि अधिनियम की धारा 28 उपयुक्त प्राधिकरण या उसकी ओर से अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत की अनुपस्थिति में न्यायालयों द्वारा संज्ञान लेने को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है, इसलिए बाद में दायर की गई शिकायत और अधिनियम के तहत कानून के अनुसार पंजीकृत और लंबित निर्णय अभियोजन पक्ष के बचाव में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यह कानून के तहत निर्धारित दो प्रक्रियाओं द्वारा समान अपराधों के लिए समान व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के बराबर होगा जो कि इस अधिनियम के तहत अनिवार्य था और एक आरोप-पत्र के संज्ञान के आधार पर जो अधिनियम के तहत निषिद्ध है।

36. इस मामले में, यह न्यायालय एक आदेश दिनांकित 15.07.2019 पर भी ध्यान देता है जिसे उपयुक्त प्राधिकरण ने धारा 28 के तहत पुलिस को वर्तमान प्राथमिकी में आरोपी सं. 3 पर अभियोजन करने की 'मंजूरी' दी थी। उक्त आदेश का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

> "अभियुक्त के खिलाफ थाना सनलाइट कॉलोनी में प्राथमिकी सं. 375/2018 के माध्यम से दायर किए गए मामले में पी.सी.&पी.एन.डी.टी. अधिनियम की धारा-28 के तहत मंजूरी के अनुरोध के संबंध में पत्र सं. 1538/आर-एस.एच.ओ./पीएस लाजपत नगर/नई दिल्ली दिनांकित- 24.06.2019 से संदर्भित|
>
> पी.सी.&पी.एन.डी.टी. अधिनियम की धारा 28.1.(क) के तहत प्रदान शक्ति के आधार पर, उपर्युक्त मामले में निम्नलिखित अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी दी जाती है..."

37. इस संबंध में, संबंधित जाँच अधिकारी/निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र दिनांकित 24.06.2019 में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी सं. 1 और 2 को पहले ही उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.04.2019 के जवाब के माध्यम से प्रदान किया जा चुका था।

38. उपरोक्त के अवलोकन से ऐसा लगता है कि पी.एन.डी.टी. अधिनियम की धारा 28 के अनुसार प्राधिकरण के लिए पत्र में 'मंजूरी' शब्द का उपयोग किया गया है| जिस शब्द का उपयोग किया जाना चाहिए था वह 'प्राधिकरण' था क्योंकि धारा 28 के तहत, उपयुक्त प्राधिकरण न्यायालय के समक्ष अपनी

ओर से शिकायत दर्ज करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है। इसलिए, प्राधिकरण अभिलेख में पहले से ही मामले के एस.एच.ओ./आई.ओ. के पक्ष में था।

39. हालाँकि, इस न्यायालय का मानना है कि तकनीकी रूप से, हालाँकि पुलिस को अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत किया गया था उससे उपयुक्त प्राधिकरण को पी.सी.&पी.एन.डी.टी. अधिनियम की धारा 28 के तहत शिकायत दर्ज करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं किया गया था जो दायर करना अनिवार्य था। हालांकि, उपयुक्त प्राधिकरण ने 02.09.2020 को न्यायालय में शिकायत दर्ज कराई थी। इसलिए, उपयुक्त प्राधिकरण की शिकायत की अनुपस्थिति में संज्ञान को कानून में वर्जित कर दिया गया था।

II. <u>क्या पी.सी.&पी.एन.डी.टी. अधिनियम के तहत पुलिस जांच की अनुमति है?</u>

40. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि वर्तमान मामले में कोई प्राथमिकी या आरोप-पत्र दायर नहीं किया जा सकता था चूंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ कथित अपराध पी.सी.&पी.एन.डी.टी. अधिनियम से संबंधित है, जो एक विशेष कानून है और जांच, शिकायत दर्ज करने सहित सभी कार्यवाही केवल उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा ही किया जा सकता है।

41. इसके विपरीत, राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. ने तर्क दिया था

कि अधिनियम की धारा 27 में निहित प्रावधानों को देखते हुए और उपयुक्त प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों पर विचार करते हुए जिसमें गिरफ्तारी की शक्ति आदि शामिल नहीं है और पीसी&पीएनडीटी नियमों के नियम 18क(3) में उपयोग की गई शब्दावली पर भी विचार करते हुए पुलिस की भूमिका, प्राथमिकी दर्ज करने और वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दायर करने में गलती नहीं की जा सकती है।

42. दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों की सराहना करने के लिए यह न्यायालय अधिनियम की धारा 27 पर ध्यान देना होगा जो निम्नानुसार है:-

"27. अपराध का संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय होना- इस अधिनियम के तहत प्रत्येक अपराध संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय होगा|"

43. संज्ञेय अपराध वे आपराधिक अपराध हैं जिनमें पुलिस के पास वारंट के बिना गिरफ्तारी करने और न्यायालय से अनुमति की आवश्यकता के बिना जांच शुरू करने की शक्ति होती है। इसके अलावा, गैर-जमानती अपराध वे हैं जहां एक आरोपी को अधिकार के मामले में जमानत नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में, 'संज्ञेय अपराध' और 'गैर-जमानती अपराध' की परिभाषाओं का संदर्भ दिया जा सकता है जैसा कि दं.प्र.सं. के तहत प्रदान किया गया है जो नीचे दिया गया है:-

"2. परिभाषाएं - इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "जमानतीय अपराध" से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानतीय बनाया गया है और **"अजमानतीय अपराध"** से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है|

****

(ग) **"संज्ञेय अपराध"** से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जिसके लिए और "संज्ञेय मामला" से ऐसा मामला अभिप्रेत है जिसमें, पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अनुसार वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है|"

(जोर दिया गया)

44. इसके अलावा, गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) नियम, 1996 का नियम 18क उपयुक्त अधिकारियों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता का प्रावधान करता है, जिसमें नियम 18क(3) निम्नानुसार है:-

"...(3) अधिनियम के तहत अधिसूचित सभी उपयुक्त प्राधिकरण जिसमे राज्य, जिला एंड उप-जिला शामिल हैं को अन्य बातों के साथ शिकायत और जाँच के निम्लिखित प्रक्रमण की प्रणाली को देखा जाना चाहिए, नामतः:-

(i) अधिनियम के तहत सभी शिकायतों और मामलों के पंजीकरण पर ध्यान देते हुए उपयुक्त डायरियां बनाई जानी चाहिए;

(ii) सभी शिकायतों पर ध्यान दें और शिकायतों की आगे की कार्रवाई पर स्पष्टता बनाए रखें;

(iii) शिकायत प्राप्त होने के चौबीस घंटे के भीतर सभी शिकायतों की जांच करें और ऐसी शिकायत प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर जांच पूरी करें;

(iv) **जहां तक संभव हो, अधिनियम के तहत मामलों की जांच** के लिए पुलिस को शामिल न करें क्योंकि अधिनियम के तहत मामले की सुनवाई शिकायत के रूप में की जाती है।"

(जोर दिया गया)

45. धारा 27 के अनुसार, पीसी&पीएनडीटी अधिनियम के तहत अपराधों को पुलिस की भूमिका को प्रतिबंधित करने वाले बहिष्करण खंड के बिना 'संज्ञेय' अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसी तरह, नियम 18क(3) में शामिल "जहां तक संभव हो" वाक्यांश इंगित करेगा कि पुलिस की भूमिका या सहायता अधिनियम के तहत वर्जित नहीं है| हालाँकि अधिनियम के तहत अपराधों को संज्ञेय बना दिया गया है, जिसकी परिभाषा दं.प्र.सं. के अनुसार पूर्ववर्ती अनुच्छेद सं. 43 में पुनः प्रस्तुत किया गया है, अधिनियम से यह स्पष्ट नहीं है कि चूंकि पुलिस एक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कर्तव्यबद्ध है जब यह उनके ज्ञान में आता है कि एक संज्ञेय अपराध किया गया है और बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है, हालाँकि धारा 27 अधिनियम के तहत सभी अपराधों को 'संज्ञेय' बनाती है, ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करेगी।

46. हालाँकि, यह न्यायालय नोट करता है कि पीसी&पीएनडीटी अधिनियम की धारा 28 केवल न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने पर रोक लगाती है और पुलिस में दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने या जांच करने पर रोक नहीं लगाती है।

47. इस संबंध में, दं.प्र.सं. की धारा 4 का भी संदर्भ दिया जा सकता है जो निम्नानुसार प्रदान करता है:-

> "4. भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार-
>
> (1) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी।
>
> (2) किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन रहते हुए, की जाएगी|"

48. उपरोक्त प्रावधान के एक अवलोकन मात्र से पता चलता है कि भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत सभी अपराधों और 'किसी अन्य कानून' के तहत अपराधों की जांच की जानी चाहिए, पूछताछ की जानी चाहिए, मुकदमा चलाया जाना चाहिए या अन्यथा दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अनुसार निपटा

जाना चाहिए जब तक कि 'किसी अन्य कानून' में इसके लिए एक अपवाद स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। जैसा कि पिछले अनुच्छेदों में देखा गया है, पीसी&पीएनडीटी अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय प्रकृति के हैं और इस प्रकार, कानून के अनुसार पुलिस द्वारा प्राथमिकी या जांच का पंजीकरण वर्जित नहीं है।

49. यह एक विशिष्ट स्थिति है, क्योंकि **वर्तमान मामले में,** अधिनियम और नियमों के आदेश के अनुसार उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा छापा मारा गया था। सभी तलाशी और जब्ती और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक दस्तावेज तैयार किए जाने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया था। छापेमारी के दौरान बरामद और जब्त की गई वस्तुओं में आरोपी से बरामद किए गए चिह्नित मुद्रा, अन्य भारतीय और विदेशी मुद्रा वाला बैग, दो लैपटॉप, तीन अल्ट्रासाउंड मशीन, हार्ड डिस्क आदि शामिल हैं जो पुलिस को सौंप दिया गया जिसे पुलिस के कब्जे में फर्द मक्बूजगी द्वारा ले लिया गया। इसके बाद, संबंधित एस.डी.एम. ने एक शिकायत दर्ज की थी और जिसके साथ उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा स्वयं तैयार किए गए संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जैसे कि स्पॉट फर्द, निरीक्षण पर्फोर्मा, पंचनामा, कार्यालय आदेश, मुद्रा नोटों की सूची, लोभी रोगियों के बयान, दो रोगियों का फॉर्म-एफ, योग्यता और आरोपी व्यक्तियों के पंजीकरण से संबंधित दस्तावेज आदि। इसलिए, अधिनियम के तहत विचार की गई

सभी औपचारिकताओं को शुरू में उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा किया गया था और उसके बाद ही आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस की सहायता मांगी गई थी। पुलिस ने आरोपी व्यक्तियों के प्रकटीकरण बयान भी दर्ज किए थे और आगे की जांच जिसमें दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज किए, अल्ट्रासाउंड मशीनों के बारे में विवरण का पता लगाए, विचाराधीन अस्पताल के स्वामित्व का विवरण, आरोपी व्यक्तियों के कॉल विवरण रिकॉर्ड आदि की जांच से संबंधित की थी।

50. इस प्रकार, वर्तमान मामले के अभिलेख पर तथ्यों और सामग्री के परीक्षण द्वारा इस मामले में कार्यवाही उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई थी। अधिनियम के अनुसार प्रारंभिक जाँच उनके द्वारा की गई थी और उन्होंने आगे की जाँच के लिए पुलिस की सहायता मांगी थी। चूँकि अधिनियम पुलिस की भागीदारी को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करता है और उपयुक्त प्राधिकरण पुलिस की सहायता ले सकता था, इसलिए इस मामले में पुलिस की सहायता ली गई। उचित प्राधिकरण ने पुलिस की सहायता लेने की आवश्यकता क्यों महसूस की, इसका कारण केवल मुकदमे के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा और इसलिए यह प्राथमिकी को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है|

51. वर्तमान मामले में दं.प्र.सं. की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट जाँच का या पीसी&पीएनडीटी अधिनियम के तहत 'सहायता प्राप्त जांच' का सिर्फ भाग

थी चूँकि तलाशी, जब्ती आदि सहित प्रारंभिक जांच उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा किया गया था। चूँकि पीसी&पीएनडीटी अधिनियम के तहत अपराध धारा 27 के अनुसार संज्ञेय प्रकृति के होते हैं, जब भी किसी संज्ञेय अपराध के होने के बारे में पुलिस को पता चलता है तो पुलिस एक प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने के लिए बाध्य होती है। इसके बाद, दं.प्र.सं. की धारा 173 के तहत एक रिपोर्ट भी दी जाएगी जो केवल न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है।

52. हालाँकि, जैसा कि पूर्व के विचार-विमर्श में देखा गया था, अधिनियम की धारा 28 के तहत यह पाबंदी कि संज्ञान तभी लिया जा सकता है जब उपयुक्त प्राधिकरण की शिकायत विचारण न्यायालय के समक्ष हो एक पूर्ण पाबंदी है| इसलिए, हालांकि उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा शिकायत पर अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करना स्पष्ट रूप से वर्जित नहीं है, लेकिन ऐसी शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा दायर आरोप-पत्र के आधार पर ही संज्ञान लेना वर्जित है। इसी तरह का विचार पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने भी ***हरदीप सिंह बनाम हरियाणा राज्य*** *सीआरएम सं. एम-4211/2014* के मामले में लिया था।

53. जैसा कि ***रसिला एस. मेहता बनाम अभिरक्षक, नरीमन भवन, मुंबई*** *2011 6 एससीसी 220* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है यह न्यायालयों पर बाध्यकारी है कि वे क़ानून की व्याख्या इस

तरह से करें कि यह अधिनियमन के उद्देश्य की रक्षा करता है और उसे आगे बढ़ाता है और उन अधिनियमों की कोई तकनीकी या प्रतिबंधित व्याख्या नहीं अपनाता है जो विधायी इरादे और नीति को नकारते हैं।

54. हालांकि, अधिनियम में यह विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया है कि उपयुक्त प्राधिकरण अपनी प्रारंभिक जाँच, तलाशी, जब्ती आदि या उनके द्वारा प्राप्त शिकायत के बाद प्राथमिकी दर्ज करा सकता है और प्राथमिकियों को रद्द करके कानून के उद्देश्य को विफल नहीं किया जा सकता है जहां जांच से अधिनियम में इस संबंध में स्पष्टता की कमी के कारण ही अधिनियम के तहत संज्ञेय अपराध होने का पता चलता है। दोहराने पर यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब उपयुक्त प्राधिकरण पीसी&पीएनडीटी अधिनियम के अधिदेश के अनुसार पुलिस को अधिनियम के तहत अपराध करने के बारे में सूचित करता है, तो पुलिस कर्तव्यबद्ध होती है और यदि संज्ञेय अपराध किया जाता है तो उनके लिए प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य होता है।

55. इस प्रकार, कानून की व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि अधिनियमन का उद्देश्य विफल न हो और किसी क़ानून में दो उपबंधों के बीच किसी भी विरोध की स्थिति में, न्यायालयों को दोनों को एक-दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके प्रभावी बनाने का प्रयास करना चाहिए|

III. <u>पीसी&पीएनडीटी अधिनियम के तहत एक मामले में प्राथमिकी को रद्द करना</u>

56. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि वर्तमान मामले में प्राथमिकी दर्ज करना और उसके बाद आरोप-पत्र दायर करना कानून की दृष्टि से गलत है और इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है। राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. ने इसके विपरीत तर्क दिया था।

57. जहाँ तक इस याचिका का संबंध है यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत प्राथमिकी रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग कर सकता है| माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल*** 1992 *एससीसी (सीआरआई) 426* के मामले में इस संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार हैं:-

> "102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि किसी भी

सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से निर्देशित और कठोर दिशानिर्देश या कठोर सूत्र को निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

1. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप भले ही उन्हें उनके साख पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया जाए तो भी प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनाते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

2. जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, जो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई जांच को उचित ठहराते हुए संज्ञेय अपराध का खुलासा न करें।

3. जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

4. जहाँ प्राथमिकी में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करता है, लेकिन केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध का गठन करता है, संहिता की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी

जांच की अनुमति नहीं है|

5. जहाँ प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने अर्थहीन और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

6. जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही को स्थापित और जारी रखने में एक स्पष्ट कानूनी बाधा है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

7. जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से असद्भावीपूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहां कार्यवाही असद्भावीपूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।

103. हम इस प्रभाव पर भी सावधानी बरतते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयम और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में; कि न्यायालय को प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों और शिकायत और असाधारण

या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी मर्ज़ी के अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान करती हैं|"

58. ***निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाम महाराष्ट्र राज्य,*** *2021 एससीसी ऑनलाइन 315 में, माननीय* सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत एक प्राथमिकी को रद्द करने पर कानून को नियंत्रित करने वाले प्रासंगिक सिद्धांतों का सारांश दिया है। प्रासंगिक अवलोकन निम्नानुसार हैं:-

"57. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से, ख्वाजा नजीर अहमद (पूर्वोक्त) के मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय से, कानून के निम्नलिखित सिद्धांत सामने आते हैं:-

i) पुलिस के पास संज्ञेय अपराधों की जांच करने के लिए संहिता के अध्याय XIV में निहित दंड प्रक्रिया संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है;

ii) न्यायालय संज्ञेय अपराधों की किसी भी जांच को विफल नहीं करेंगे।

iii) हालांकि, ऐसे मामलों में जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है वहाँ न्यायालय जांच जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।

iv) रद्द करने की शक्ति का प्रयोग 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों' में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। (इसके तहत रद्द करने के लिए अपने आवेदन में दुर्लभतम मामलों का मानक दं.प्र.सं. की धारा 482 मृत्युदंड के संदर्भ में तैयार किए गए

मानदंड के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले समझाया गया है);

v) प्राथमिकी/शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की जाती है, न्यायालय प्राथमिकी/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू नहीं कर सकती है।

vi) आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

vii) शिकायत/प्राथमिकी को रद्द करना एक सामान्य नियम की तुलना में एक अपवाद और दुर्लभता होनी चाहिए।

viii) आम तौर पर, न्यायालयों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के दो अंग गतिविधियों के दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं। हालाँकि, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को मान्यता दी गई है धारा 482 Cr.P.C द्वारा न्याय के उद्देश्यों को सुनिश्चित करना या उपरोक्त प्रक्रिया को रोकना।

ix) न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, परस्पर अतिव्यापी नहीं;

x) कुछ विशिष्ट मामलों को छोड़कर जहां गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को अपराधों की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए;

xi) न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियाँ न्यायालय को अपनी सनक इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं;

xii) प्रथम सूचना रिपोर्ट एक विश्वकोश नहीं है जिसे रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्यों और विवरणों का खुलासा करना चाहिए। इसलिए, जब पुलिस द्वारा जाँच जारी है, तो न्यायालय को प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के गुणागुण में नहीं जाना चाहिए। पुलिस को जांच पूर्ण करनी दी जानी चाहिए। अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि शिकायत / प्राथमिकी जांच के योग्य नहीं है या यह विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जाँच के दौरान या बाद में, यदि जाँच अधिकारी को पता चलता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में कोई दम नहीं है, तो जाँच अधिकारी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उचित आख्या / सारांश दायर कर सकता है जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जा सकता है;

xiii) दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत शक्ति अत्यंत व्यापक है, लेकिन व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए न्यायालय को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह न्यायालय पर एक दुर्वह एवं अत्यंत कठिन कर्तव्य डालता है;

xiv) हालाँकि, साथ ही, न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो अभिखण्डित करने और विधि द्वारा लगाए गए आत्म-संयम के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, विशेषकर इस न्यायालय द्वारा आर.पी. कपूर (पूर्वोक्त) एवं भजन लाल (पूर्वोक्त) मामलों में अधिकथित मापदंडों में, प्राथमिकी / शिकायत को अभिखण्डित करने की अधिकारिता है; और

xv) जब कथित अभियुक्त द्वारा प्राथमिकी को अभिखण्डित करने का अनुरोध किया जाता है, तो न्यायालय जब दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करता है, तो केवल इस बात पर विचार करना होता है कि क्या प्राथमिकी में लगाए गए

आरोप एक संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करते हैं या नहीं तथा गुणागुण के आधार पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या आरोप एक संज्ञेय अपराध बनाते हैं या नहीं और न्यायालय को जांच अभिकरण / पुलिस को प्राथमिकी में आरोपों की जांच करने की अनुमति देनी होती है।"

59. दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग संयमपूर्वक किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में। उपरोक्त न्यायिक पूर्व निर्णय की कसौटी पर परखे जाने पर, प्राथमिकी को अभिखण्डित करने के लिए वर्तमान याचिकाकर्ता के अभिवचन उक्त सिद्धांतों के तहत शामिल नहीं है क्योंकि अपराध करने के संबंध में सामग्री एकत्र की गई है और विचरण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र के रूप में दायर की गई है और इस न्यायालय के समक्ष भी है। जैसा कि पिछली चर्चा में देखा गया है, अधिनियम के उद्देश्य को केवल इस आधार पर प्राथमिकी को अभिखण्डित करके विफल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि पुलिस इस मामले में जांच और आरोप पत्र दायर नहीं कर सकती थी, क्योंकि उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा मांगी गई पुलिस सहायता अधिनियम द्वारा पूरी तरह से वर्जित नहीं है।

60. वर्तमान मामले में, उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा शिकायत प्राप्त की गई थी, और उनके द्वारा अधिनियम के तहत इससे निपटा भी गया था और उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी क्योंकि मामले की जांच के

लिए उनकी सहायता मांगी गई थी। इसके अलावा, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिनियम के तहत पुलिस की भागीदारी पर कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, और नियम 18क(3) में उपयोग किया गया शब्द "जहां तक संभव हो" हैं, न तो आरोप पत्र दायर करना रद्द किया गया था और न ही प्राथमिकी दर्ज करना कानूनी रूप से गलत था। यदि इस दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, तो अधिनियम के तहत पंजीकृत प्राथमिकी और उचित अधिकारियों द्वारा शिकायत के अनुसार पुलिस द्वारा की गई जांच, जो अपराधियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने में परिणित होती है, को अधिनियम में कोई स्पष्टता या विशिष्ट प्रावधान नहीं होने के तकनीकी आधार पर अभिखण्डित करना होगा।

61. अधिनियम इस बारे में चुप है कि कौन सा मार्ग अपनाया जाना है और न्यायालय में इस तरह के आरोप पत्र दायर किए जाने का क्या परिणाम होगा। जैसा कि ***रसिला एस. मेहता*** (पूर्वोक्त) के मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय *द्वारा* अभिनिर्धारित किया गया है, विधि का उद्देश्य अपराधी को विधि के जाल से बाहर निकलने की अनुमति देना नहीं है और "संविधि का अर्थ इस तरह से लगाया जाना चाहिए जो अनिष्ट को दबाए और विधायिका द्वारा विचारित उद्देश्य को आगे बढ़ाए। एक संकीर्ण निर्माण जो कानून को बाधित करता है, उसे नहीं लिया जाना चाहिए।"

62. इस प्रकार, अति तकनीकी आधार आरोप पत्र या प्राथमिकी को

अभिखण्डित करने का आधार नहीं बन सकते हैं, विशेष रूप से जब अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय प्रकृति के हों।

<u>अधिनियम के तहत कतिपय प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने की आवश्यकता के प्रसंगानुकूल न्यायालय के विचार</u>

63. इस निर्णय के समाप्त होने से पूर्व, यह इस मामले की तथ्यात्मक और विधिक पृष्ठभूमि में है कि यह न्यायालय कुछ टिप्पणियां करने के लिए विवश है, जो बाद के पैराग्राफ में दर्ज हैं।

I. अधिनियम के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का संयुक्त प्रयास

64. इस तथ्य पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि पीसी व पीएनडीटी अधिनियम के अधिनियमन के बाद से, न्यायपालिका की ओर से इसके प्रावधानों को लागू करने, इसके बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और यहां तक कि आवश्यक दिशानिर्देशों को निर्धारित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। माननीय शीर्ष न्यायालय ने वर्ष 2001 में ***सेंटर फॉर इन्क्वारी इनटू अलाइड थीम्स (सीईएचएटी) बनाम भारत सरकार*** 2001 5 एससीसी 577 में केंद्र सरकार, केंद्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड, राज्य सरकारों और उपयुक्त प्राधिकरणों को यह व्यक्त करने के बाद निर्देश जारी किए थे कि अधिनियम को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा काफी हद तक लागू नहीं किया जा रहा है। ***सेंटर***

फॉर इन्क्वारी इनटू अलाइड थीम्स (सीईएचएटी) बनाम भारत सरकार *2003* 8 एससीसी 398 मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए क्योंकि संबंधित सरकारें और अधिकारी वर्ष 2001 में जारी दिशा-निर्देशों और निर्देशों का पालन करने में विफल रहे थे।

65. बाद में, पीसी व पीएनडीटी अधिनियम को संसद द्वारा वर्ष 2003 में इसके प्रावधानों को मजबूत करने और इसके कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए संशोधित किया गया था। 2003 के संशोधन द्वारा किए गए कुछ परिवर्तन सरल शब्दों में, इस प्रकार हैं : (i) प्रसव पूर्व नैदानिक परीक्षणों और प्रक्रियाओं की नई तकनीकों को शुरू करके लिंग चयन में उपयोग की जाने वाली तकनीक के विनियमन में सुधार करना, (ii) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए दंड में वृद्धि करना, (iii) गर्भधारण से पहले और प्रसव से पहले लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना, (iv) विभिन्न प्राधिकरणों के उत्तरदायित्वों को स्पष्ट करना और बोर्ड, (v) अधिनियम आदि के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्राधिकरण को अधिक शक्तियां प्रदान करना। इन संशोधनों का उद्देश्य मूल अधिनियम की कुछ कमियों को दूर करना और लिंग-चयनात्मक गर्भपात को रोकने में इसे और अधिक प्रभावी बनाना था। इस संबंध में 2003 का अधिनियम सं. 14 के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का भी उल्लेख किया जा सकता है जो निम्नानुसार है:-

"...प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 भ्रूण के लिंग की जाँच के प्रसवपूर्व निदान तकनीकों पर रोक लगाने की माँग करता है जिसके कारण कन्या भ्रूण हत्या होती है| हाल के वर्षों के दौरान, उक्त अधिनियम के प्रशासन में कुछ अपर्याप्तताएँ और व्यावहारिक कठिनाइयाँ सरकार के ध्यान में आई हैं, जिसके कारण उक्त अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता पड़ी है।

2. एम्नियोसेंटेसिस और सोनोग्राफी जैसी प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकें आनुवंशिक या गुणसूत्र संबंधी विकारों या जन्मजात विकृतियों या लिंग संबंधी विकारों आदि का पता लगाने के लिए उपयोगी हैं। हालांकि, भ्रूण के लिंग का पता लगाने और कन्या पाए जाने पर अजन्मे बच्चे की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर एम्नियोसेंटेसिस और सोनोग्राफी का उपयोग किया जा रहा है। गर्भधारण से पहले बच्चे के लिंग का चयन करने की तकनीक भी विकसित की जा रही है। इन प्रथाओं और तकनीकों को कन्या लिंग के विरुद्ध भेदभावपूर्ण माना जाता है और महिलाओं की गरिमा के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है।

3. ऊपर वर्णित प्रौद्योगिकियों का प्रसार, भविष्य में, पुरुष-महिला अनुपात में गंभीर असंतुलन के रूप में एक आपदा को जन्म दे सकता है। राज्य का कर्तव्य है कि ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर समाज के कल्याण बनाए रखें विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों हेतु। इसलिए एक कानून को भाषा और भाव की दृष्टि से अधिनियमित और लागू करना आवश्यक है ताकि गर्भधारण लिंग चयन तकनीक और लिंग-चयनात्मक

गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों का दुरुपयोग और इस तरह के गर्भपात के विनियमन के लिए प्रावधान किया जा सके। चिकित्सा नैतिकता को बनाए रखने और समाज के व्यापक हित में चिकित्सा प्रौद्योगिकी के विनियमन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी इस तरह के कानून की आवश्यकता है।

4. तदनुसार, गर्भधारण से पहले लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के साथ-साथ लिंग चयन गर्भपात के लिए प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के दुरुपयोग और ऐसी तकनीकों को विनियमित करने की दृष्टि से उपरोक्त अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि उनका वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, जिसके लिए वे अभिप्रेत हैं।"

66. हालाँकि, उपरोक्त चर्चित संशोधनों के बावजूद, भारत में पी.सी.&पी.एन.डी.टी. अधिनियम का कार्यान्वयन एक चुनौती बना रहा है। ***पंजाब का स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ बनाम भारत संघ*** *2013 4 एससीसी* 1 के साथ-साथ ***पंजाब का स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ बनाम भारत संघ*** *2016 10 एससीसी 265* मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को 1994 के अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने के निर्देश जारी किए।

67. हालाँकि, यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से वर्ष 2016 **में 'जिला उपयुक्त प्राधिकरणों के लिए मानक संचालन दिशानिर्देश'** जारी किए थे। उसी के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि ये मानक दिशानिर्देश शिकायत प्राप्त होने से पहले और बाद में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के हर स्तर पर जिला उपयुक्त अधिकारियों का आकलन करने और मार्गदर्शन करने के लिए जारी किए गए हैं।

68. उक्त मानक संचालन दिशानिर्देशों के अंतर्गत दिशानिर्देशों के विभिन्न सेट प्रदान किए गए हैं। इसमें शामिल कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को इंगित करने के लिए, 'डिकॉय ऑपरेशन शुरू करने के लिए दिशानिर्देश' में *अन्य बातों* के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि (i) एक भरोसेमंद महिला का चयन किया जाना चाहिए जो 14 से 22 सप्ताह की गर्भवती हो जिसे अन्य बातों के साथ-साथ स्थिति की गंभीरता को उस भाषा में समझाया गया हो जिसे वह समझती हो जिसकी सहमति एक डिकॉय ऑपरेशन में भाग लेने के लिए ली गई हो, (ii) अपराध के स्थान पर, गर्भवती महिला के साथ गवाहों का बयान दर्ज किया जाना चाहिए, (iii) यदि साक्ष्य की ऑडियो के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है तो एक सीडी बनाई जानी चाहिए जिसे मामला दर्ज करते समय न्यायालय में जमा किया जाना चाहिए, (iv) सभी प्रासंगिक दस्तावेज और सामान जब्त किए जाने चाहिए, (v) जाँच पूरी होते ही उचित प्राधिकार द्वारा संबंधित न्यायालय में सभी दस्तावेजों के साथ

डिकॉय ऑपरेशन और जाँच के दौरान एकत्रित साक्ष्य संलग्न कर शिकायत दायर की जानी चाहिए, (vi) उचित प्राधिकार या उनका/उनकी प्राधिकृत प्रतिनिधि को मामले की सुनवाई हेतु हमेशा मौजूद रहना चाहिए आदि।

69. इसके अलावा, *'शिकायत का जवाब देने के लिए दिशानिर्देश'* में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि (i) शिकायत प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर जांच शुरू की जानी चाहिए और शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटे के भीतर पूरी की जानी चाहिए, (ii) शिकायत के आधार पर, सुविधा/केंद्र का निरीक्षण किया जाना चाहिए और नियमों के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए और ऐसी सुविधा/केंद्र का पंजीकरण तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए यदि यह कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, (iii) सभी तलाशी और जब्ती प्रक्रियाएं पूरी की जानी चाहिए, (iv) गवाहों के बयान दर्ज किए जाने चाहिए और साक्ष्य एकत्र करने के बाद पंचनामा तैयार किया जाना चाहिए, (v) धारा 24 के अनुसार, गर्भवती महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए चूँकि वह कानून आदि के तहत संरक्षित है। इसी तरह, '*आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश'* पी.सी.&पी.एन.डी.टी. अधिनियम की धारा 28 से संबंधित पहलू से व्यापक रूप से संबंधित है और इस प्रक्रिया की व्याख्या करता है कि उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा न्यायालय के समक्ष शिकायत कैसे दायर की जानी है। दायर करने की प्रक्रिया को चार खंडों में विभाजित किया गया है अर्थात शिकायत का मामला दर्ज करने से पहले

प्रारंभिक प्रक्रिया, शिकायत के साथ जमा/संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज, मामले का वास्तविक दर्ज होना और सामान्य निर्देश। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि इस तरह की प्रक्रिया का पालन एक कानूनी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में किया जाना चाहिए, और मूल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए अन्य बातों के साथ साथ संबंधित उपयुक्त प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा मामलों का उचित अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए।

70. हालाँकि, गंभीर मुद्दा यह है कि इस तथ्य के बावजूद कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका ने पिछले 20 से अधिक वर्षों में इस तरह के प्रयास किए हैं, न्यायालयों को ऐसे उदाहरणों का सामना करना पड़ रहा है जिनमें संबंधित अधिकारी पीसी&पीएनडीटी अधिनियम द्वारा शासित मामलों में उचित प्रक्रिया का पालन करने से अनभिज्ञ हैं।

II कानूनों का प्रभावी मूल्यांकन, व्यावहारिक कठिनाइयाँ और न्यायालयों द्वारा न्यायशास्त्र का परिणामी विकास

71. न्यायालयों के पास अपने निर्णयों द्वारा संवाद शुरू करने और न्यायशास्त्र विकसित करने का अधिकार है यदि किसी न्यायालय द्वारा यह देखा जाता है कि कोई अधिनियम अपने अभिप्रेत उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ है। यह न केवल न्यायालयों से न्याय की मांग करने वाली जनता के ध्यान में लाया जा सकता है बल्कि विधानमंडल के भी ध्यान में लाया जा

सकता है जिसने लोगों के हितों की रक्षा करने, अपने नागरिकों के कल्याण के साथ-साथ कानून का शासन सुनिश्चित करने और विशिष्ट अधिनियमों में सामाजिक और लैंगिक न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से कानून बनाया है|

71. यदि किसी न्यायालय द्वारा यह देखा जाता है कि कोई अधिनियम अपने इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ है तो न्यायालयों के पास अपने निर्णयों द्वारा संवाद शुरू करने और न्यायशास्त्र विकसित करने का अधिकार है। यह न केवल न्यायालयों से न्याय की अपेक्षा रखने वाली जनता बल्कि उस विधानमंडल के भी ध्यान में लाया जा सकता है, जिसने इस कानून को लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, अपने नागरिकों के कल्याण के साथ-साथ कानून का शासन सुनिश्चित करने एवं विशिष्ट अधिनियमों में सामाजिक और लैंगिक न्याय प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू किया है।

72. भारत में कानून संसद द्वारा बनाए जाते हैं। हालांकि, कानून के अधिनियम का प्रभाव केवल तभी दिखाई देता है जब इसे लागू किया जाता है और न्यायालयों में दर्ज किया जाता है। इसलिए, इस पर चर्चा, समीक्षा और यह विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है कि क्या किसी कानून के अधिनियम के पीछे का औचित्य एवं उद्देश्य न्याय निर्णायक बल और न्याय के उपभोक्ताओं यानी दोनों पक्षों के वादियों द्वारा प्राप्त किया गया है या नहीं।

73. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, हमारे देश में पी.सी. और पी.एन.डी.टी. अधिनियम को लागू करवाने वाला उद्देश्य और ऐतिहासिक

पृष्ठभूमि लिंग आधारित हिंसा, जो कि कन्या के जन्म से पहले गर्भ से शुरू हुई थी, जिसे आमतौर पर कन्या भ्रूण हत्या के रूप में जाना जाता है, की लंबे समय से प्रचलित सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण थी। वर्तमान अधिनियम को लागू करने के पीछे का उद्देश्य कन्या को दुनिया में आने से पहले होने वाली हिंसा से बचाना था।

74. किसी अधिनियम के सामाजिक संदर्भ और अपराध के सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखने की आवश्यकता है क्योंकि वे मौलिक न्याय करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, यह न्यायालय नोट करता है कि पिछले कई वर्षों से ऐसे मामलों की एक श्रृंखला रही है जिसमें अपराधी दं.प्र.सं. की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियों का आह्वान उच्च न्यायालयों की कार्यवाही और शिकायतों को रद्द करने और इस अधिनियम के तहत दायर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संज्ञान लेने वाले आदेशों को रद्द करने के लिए करते हैं। समस्या पर गौर करते हुए, यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति अक्सर जनता के साथ-साथ अधिनियम के अंतर्गत संबंधित पदाधिकारियों के बीच इस विषय पर जागरूकता की कमी होने के कारण उत्पन्न होती है कि शिकायत कैसे दर्ज की जानी चाहिए और उन पर कार्रवाई कैसे की जानी चाहिए।

75. जैसा कि इस न्यायालय ने कहा है, पूर्ण और सच्चा न्याय करने के लिए किसी अधिनियम और अपराध के सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। किसी आम आदमी के लिए, किसी भी अपराध की शिकायत

पुलिस में दर्ज की जा सकती है। इसलिए, लिंग निर्धारण परीक्षण के संबंध में जानकारी के मामले में भी, इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने के लिए अक्सर पुलिस को पहले प्राधिकरण के रूप में संपर्क किया जाता है। पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए पहला सक्षम प्राधिकरण नहीं है। हालांकि, यदि उपयुक्त प्राधिकरण या किसी अधिकृत व्यक्ति के कहने पर प्राथमिकी दर्ज की जाती है, और इसके आधार पर यदि विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है, तो पक्ष अपनी शिकायत के निवारण के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं।

76. एक आम चीज़ जो इस तरह के मुकदमेबाजी में दिखाई देती है, वह आम नागरिक के साथ-साथ पुलिस, और कई मामलों में उपयुक्त प्राधिकरण, जो हमेशा मामले की जांच करते हैं और अधिनियम और भारतीय दंड संहिता, 1860 के अन्तर्गत न्यायालयों के समक्ष आरोप पत्र दायर करते हैं के बीच जानकारी की कमी है।

III न्यायालयों द्वारा न्यायिकसंस्थागत और संवैधानिक प्रतिबंध बनाम , विधानमंडल द्वारा वास्तविक न्याय प्राप्त करने के लिए अधिनियम में अस्पष्ट क्षेत्रों को इंगित करना

77. न्यायिक निर्णय उस व्यावहारिक संसार को प्रभावित करते हैं जिसमें हम रहते हैं और यदि वह कानून जिसे लागू करने की अपेक्षा की जा रही है, प्रक्रियात्मक या संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता के कारण अप्रभावी रहता है, तो मूल न्याय की हानि होगी। इन मुद्दों को उन लोगों द्वारा सही संदर्भ में समझा जाता है जो न्यायालयों में पहुंचने से पहले और बाद जमीनी स्तर पर कानून से निपटते हैं।

78. न्यायालयों को संस्थागत और संवैधानिक बाधाओं और प्रतिबंधों के भीतर काम करना है जिनके तहत वे संचालन करते हैं। हालांकि, न्यायालय नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक और संवैधानिक प्रतिबंधों के बावजूद कानून के शासन की रक्षा करने का प्रयास करती है, जो उनके न्यायिक और संवैधानिक कर्तव्य के अनुसार है। सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्य को यह सुनिश्चित करके प्राप्त किया जा सकता है कि कानून के लक्ष्य और उद्देश्य पराजित न हो, लेकिन यह न्यायपालिका और विधायिका का संयुक्त अंतर-संस्थागत प्रयास है।

79. उपरोक्त के आलोक में, इस न्यायालय ने *'जिला उपयुक्त प्राधिकरणों के लिए मानक संचालन दिशानिर्देशों'* की सामग्री का अध्ययन किया है, जिसका विवरण पहले ही अनुच्छेद संख्या 67 से 69 में बताया जा चुका है।

80. ऐसा करते समय, इस न्यायालय द्वारा यह नोट किया गया है कि '*डिकॉय ऑपरेशन शुरू करने के लिए दिशानिर्देश'* में निहित दिशानिर्देशों में से

एक में कहा गया है कि 14-22 सप्ताह की गर्भवती महिला को छापेमारी के उद्देश्य से नकली ग्राहक/रोगी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालाँकि, यह भी उल्लेख किया गया है कि उसके लिए उसके पति, माँ या सास की सहमति आवश्यक है, भले ही वह वयस्क हो। इसके अलावा, उन्हें प्रक्रिया के बारे में समझाया जाना चाहिए और उस भाषा में परामर्श दिया जाना चाहिए जिसे वह समझते हैं। हालांकि, इस न्यायालय का विचार है कि इस तरह के दिशा निर्देश एक स्वतंत्र वयस्क महिला की पसंद और विवेक के दृष्टिकोण के विरुद्ध हो सकते हैं, लेकिन यह संबंधित मंत्रालय के ऊपर है कि वह इस पर पुनर्विचार करे या इसके बारे में निर्णय ले।

81. '*आपराधिक शिकायत दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश*' के दिशानिर्देशों में से एक में यह भी कहा गया है कि यदि आरोप निर्धारित किये जाते हैं, तो डॉक्टर के पंजीकरण के निलंबन के लिए आवेदन राज्य चिकित्सा परिषद को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और दोषी ठहराए जाने पर, डॉक्टर का नाम परिषद के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। इस संबंध में, यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस बारे में कोई दिशा-निर्देश नहीं है कि आरोपमुक्ति या यदि कोई न्यायालय अधिनियम के तहत संज्ञान लेने से इनकार करता है, तो उस मामले में उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा किस प्रक्रिया का पालन किया जाना है ।

82. यह न्यायालय आगे नोट करता है कि हालांकि पी.सी. और पी.एन.डी.टी. नियमों में विचार किया गया है कि 'जहां तक संभव हो' पुलिस को छापे,

तलाशी, जब्ती, साक्ष्य दर्ज करने आदि की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, इस पहलू की व्यावहारिकता पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि यह प्रक्रिया पी.सी. और पी.एन.डी.टी. अधिनियम के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में चल रहे सुविधाओं/क्लीनिकों पर छापे मारने के लिए दं.प्र.सं. के अनुसार होनी चाहिए।

83. अधिनियम का एक और अस्पष्ट क्षेत्र, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पूर्ववर्ती चर्चा में भी देखा गया था यह है कि जहां चिकित्सा केंद्रों और सुविधाओं की जांच, तलाशी, जब्ती, छापेमारी, रद्द करने या पंजीकरण के निलंबन की शक्तियां उपयुक्त प्राधिकरण को दी गई हैं, वहीं अधिनियम के तहत अपराधों को उचित अधिकारियों की गिरफ्तारी की शक्ति निहित किए बिना 'संज्ञेय' बना दिया गया है। दं.प्र.सं. के अनुसार, संज्ञेय अपराध करने के मामले में, आरोपी को पुलिस द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। इसलिए, अधिनियम का यह पहलू अस्पष्ट बना हुआ है, जिसने कई उच्च न्यायालयों को भी इसकी जांच करने के लिए मजबूर किया है।

84. इसके अलावा, वर्तमान मामला एक ऐसा उदाहरण है जहां ऐसा लगता है कि उपयुक्त प्राधिकरण को स्वयं पता नहीं था, या उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज़ कर दिया था कि उसे विचारण न्यायालय के समक्ष अधिनियम की धारा 28 के आदेश के अनुसार शिकायत दर्ज करने कि जगह अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज

की थी और तदपश्चात, पुलिस ने उपयुक्त प्राधिकरण की शिकायत के *बिना* संबंधित न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था

85. सुविचारित और अच्छी तरह से लागू किए गए पीसी व पीएनडीटी अधिनियम और नियम लैंगिक असंतुलन से निपटने के लिए हस्तक्षेप के साधन हैं। अधिनियम के सामाजिक संदर्भ के साथ-साथ अपराध को भी याद रखने की आवश्यकता है, और यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि लैंगिक आधारित हिंसा, चाहे वह जन्म के बाद एक बच्ची की सुरक्षा हो या तब भी जब वह पैदा नहीं हुई हो, न केवल राज्य की, बल्कि न्यायालयों के लिए भी चिंता का विषय है। जबकि दृष्टिकोण में परिवर्तन प्रत्येक परिवार से शुरू होना चाहिए, जब तक कि उक्त लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक विधि को ऐसी स्थितियों से सख्ती से निपटने के लिए सक्षम होना चाहिए।

86. हालाँकि, यह न्यायालय यह स्पष्ट करना उचित समझता है कि इस तरह की टिप्पणियों और सुझावों के माध्यम से, वह विधानमंडल यानी संसद या कार्यपालिका यानी संबंधित मंत्रालयों या अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकरणों में दोष नहीं ढूंढना चाहता है। वर्तमान मामले में भी, जैसा कि अभिलेख की सामग्री से प्रथमदृष्टया पता चलता है, दोनों संबंधित उपयुक्त प्राधिकरण के साथ-साथ पुलिस ने मामले में विस्तृत और गहन जांच की थी और उसके बाद आरोप पत्र तथा पूरक आरोप पत्र दायर किए थे, और छापे या जांच को अंजाम देने में किसी भी द्वेष या दुर्भावना के लिए उचित

प्राधिकरण या पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि, विडंबना यह है कि सूचना के आभाव के कारण, उपयुक्त प्राधिकरण को स्वयं अधिनियम की धारा 28 के आदेश के बारे में पता नहीं था कि उसे अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन आरंभ करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष शिकायत दर्ज करनी होगी, लेकिन न्यायालय में अभियुक्त पर अभियोजन चलाने के लिए जांच अधिकारी को मंजूरी पत्र दिया था जो अधिनियम के लिए अनजानी प्रक्रिया थी।

87. बल्कि, इस न्यायालय का उद्देश्य अत्यंत सावधानी के साथ विधिक ढांचे में कुछ असंदिग्धताओं, अस्पष्टताओं तथा लोप को इंगित करना है जो अन्यथा कन्या भ्रूण हत्या और अवैध लिंग निर्धारण के गंभीर मुद्दों से निपटने के लिए है। 'न्यायिक नवाचार' यानी विद्यमान विधियों के न्यायशास्त्र में परिवर्धन कर विकास करना, और 'न्यायिक संयम' यानी विद्यमान विधिक ढांचे को संरक्षित करने व सामंजस्य स्थापित करने के संकल्प के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है।

IV. अधिनियम के सन्दर्भ में दिशानिर्देशों को जारी करने के लिए आवश्यक कारणों की पृष्ठभूमि : तात्विक न्याय हेतु अनुसन्धान

88. अधिनियम में कुछ हद तक अस्पष्टता के बावजूद विधि और न्याय को एक ही पृष्ठ पर लाने की आवश्यकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है, निर्णय लेना एक यांत्रिक प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अनिवार्य रूप से, यह एक

मानवीय प्रक्रिया है जिसमें एक न्यायाधीश द्वारा न्याय के लिए यात्रा या खोज को आगे बढ़ाना भी शामिल होता है। चूँकि कोई निर्णय केवल विवादों का समाधान नहीं करता है, बल्कि वादियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है, यदि कोई न्यायाधीश किसी संविधि को लागू करने में प्रक्रियात्मक या विधिक कमी का न्यायिक संज्ञान लेने में समर्थ है, तो न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि उसे हितधारकों के ध्यान में लाए। न्यायिक राय और परिणाम कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं जिनमें किसी मामले के परिणाम के कारण बताना भी शामिल है। इसलिए, यह न्यायालय संविधान और इस देश के नागरिकों के प्रति कर्तव्यबद्ध होने के कारण निम्नलिखित का पालन करना आवश्यक समझता है जो पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के उद्देश्य और लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा डालता है, जिससे बाद के अनुच्छेद में उल्लिखित दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता होती है।

क. कन्या भ्रूण के लिए सुरक्षित गर्भ की आवश्यकता : लिंग-चयनात्मक गर्भपात से सीधे संबंधित लिंग-निर्धारण परीक्षण

89. पीसी व पीएनडीटी अधिनियम प्रसव-पूर्व नैदानिक प्रक्रियाओं के संचालन को नियंत्रित करता है और स्पष्ट रूप से लिंग-चयन को प्रतिबंधित करता है। लेकिन, लिंग-निर्धारण परीक्षणों का व्यवसाय भ्रूण के लिंग को प्रकट करने के लिए परीक्षण करने पर समाप्त नहीं होता है, बल्कि कई

मामलों में लिंग-चयनात्मक गर्भपात में समाप्त होता है, जो एक प्रमुख चिंता का विषय है।

90. इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीसी व पीएनडीटी अधिनियम का इस तरह के परीक्षण करने का भय पैदा करने में कुछ हद तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालांकि, एक **कन्या भ्रूण के लिए एक सुरक्षित गर्भ** की आवश्यकता एक और मुद्दा था जिसे इस अधिनियम द्वारा संबोधित करना चाहा गया था। इस संबंध में, जब यह अधिनियम विधायिका द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो अन्य चिकित्सा मुद्दों के उद्देश्य के साथ साथ लिंग प्रकट करने की प्रथा पर अंकुश लगाना और दंडित करना भी था, क्योंकि विधायिका इस तथ्य से अच्छी तरह अवगत थी कि देश के अधिकांश हिस्सों में कन्या भ्रूण हत्या एक आम मुद्दा था।

91. पिछली लिंग-अनुपात जनसंख्या प्रवृत्ति संतान के रूप में लड़कों के लिए वरीयता दर्शाती है। यह मुद्दा इस हद तक अत्यंत महत्वपूर्ण था कि एक कन्या के जन्म से पहले ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों को पूरा करने के लिए और उसके लिंग के आधार पर उसकी हत्या नहीं की जाए, विभिन्न सरकारों ने अतीत में कई योजनाओं को लागू किया था। और हाल ही में, बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार ने ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिनमें मुफ्त शिक्षा प्रदान करना शामिल है और कन्या के जन्म पर एक निश्चित राशि जमा करना, ताकि उसे बोझ

न समझा जाए और उसके माता-पिता को इस बात की चिंता न हो कि उसकी शिक्षा या विवाह का भुगतान कैसे किया जाए।

92. हालांकि, एक अजन्मी बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दृष्टिकोण में बदलाव आवश्यक हैं। सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं को लागू किए जाने के बावजूद, निर्धन आर्थिक स्थिति वाले छोटे परिवार हमेशा कम से कम एक लड़के की इच्छा रखी है। चूंकि, खराब आर्थिक स्थितियों वाले परिवारों के पास अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए न्यूनतम संसाधन होते हैं, इसलिए वे परिवार में दो या तीन बच्चे पैदा नहीं कर सकते। यह लिंग निर्धारण के लिए एक प्रमुख मानदंड बन गया और एक लड़की के मामले में, इसी के कारण अवैध गर्भपात होते हैं। अवैध लिंग-निर्धारण परीक्षण और उसके बाद, अवैध गर्भपात अपने आप में एक छोटा उद्योग बन गया है।

93. कहने की जरूरत नहीं है कि एक महिला द्वारा अपने लिंग के आधार पर झेली जाने वाली **दोहरी हिंसा** अपने आप में घृणास्पद है। इससे पहले, एक महिला पर उसके परिवार के सदस्यों द्वारा केवल एक लड़के को जन्म देने के लिए दबाव डाला जाता था, हालांकि, कुछ स्थितियों में, महिलाएं खुद इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए एक बेटा चाहती थीं कि जब वह बूढ़ी हो जाएंगी, तो उनकी देख भाल करने के लिए उनका एक बेटा होगा। महिलाओं को कुछ मामलों में इस बात की भी असुरक्षा थी कि अगर वे एक बेटे को

जन्म देने में असमर्थ रहती हैं, तो परिवार के सदस्यों के साथ-साथ समाज भी उनको सम्मान या महत्व नहीं देगा। दूसरी ओर, ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब एक महिला के परिवार में पहले बच्चे के रूप में पहले से ही एक लड़की होती है, और उन मामलों में, महिलाओं को गर्भपात कराने के लिए गंभीर मानसिक दबाव का सामना करना पड़ता है यदि उनका दूसरा बच्चा लड़का नहीं है जो मानसिक हिंसा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। इस तरह से गर्भपात उस विधि के विरुद्ध किया जा रहा है जो चयनात्मक लिंग निर्धारण पर आधारित है जिसको रोकना इस अधिनियम का उद्देश्य है।

94. जो महिलाएँ ऐसी परिस्थितियों में गर्भपात कराने का विकल्प चुनती हैं, या पारिवारिक दबाव से गर्भपात कराने के लिए मजबूर होती हैं, वे निजी क्लीनिकों में गर्भपात कराने का विकल्प चुनती हैं जहाँ वे **असुरक्षित और अस्वच्छ पद्धिति** का उपयोग करते हैं। गरीब और ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षित और स्वच्छ गर्भपात सेवाओं तक पहुंच नहीं है और ऐसे उदाहरण हैं कि चूंकि वे इन्हें सरकारी अस्पतालों में नहीं करवा सकती हैं, इसलिए या तो वे घर पर या असुरक्षित निजी क्लीनिकों में असुरक्षित साधन अपनाती हैं।

95. **लिंग-चयनात्मक परीक्षण,** के अनुवर्ती **लिंग-चयनात्मक गर्भपात** आमतौर पर दूसरी तिमाही के बाद के चरणों के दौरान किए जाते हैं। यह अग्निपरीक्षा न केवल महिलाओं को शारीरिक पीड़ा और आघात पहुंचाती है,

बल्कि भावनात्मक उथल-पुथल भी पैदा करती है। महिलाएं अपने परिवार और समाज द्वारा कन्या भ्रूण के जीवन को समाप्त करने के लिए दबाव महसूस कर सकती हैं, भले ही यह उनकी खुद की धारणा और अंतरात्मा के खिलाफ हो। अजन्मे बच्चे के जीवन को समाप्त करने के निर्णय का गहरा भावनात्मक प्रभाव हो सकता है जो कई महीनों तक रह सकता है। महिलाओं को चिंता, भय और दुःख की अनुभूति का अनुभव हो सकता है जिन्हें व्यक्त करना मुश्किल है।

96. ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ एक महिला खुद को और अपनी अजन्मी बच्ची को जीवन भर की यातनाएं एवं वेदना के अधीन करने के बजाय एक सीमित अवधि के लिए कन्या भ्रूण धारण करने की असुविधा को सहन करना चुन सकती है। एक महिला के लिए नैतिक और व्यक्तिगत दुविधाएँ जटिल हो सकती हैं, विशेष रूप से जब वे सामाजिक मानदंडों और उसके आसपास के लोगों की सामूहिक मान्यताओं से टकराती हैं। नतीजतन, महिलाएं खुद को जटिल निर्णयों से जूझती हुई पा सकती हैं जिनमें नैतिक और सामाजिक परिस्थितियों के एक चुनौतीपूर्ण समूह से गुज़रना शामिल है।

97. इस अधिनियम के तहत अपराध, जिन पर अंकुश लगाने का प्रस्ताव है, **दोहरी हिंसा** को जन्म देते हैं यानी अजन्मे बच्चे के खिलाफ और गर्भपात कराने के लिए मजबूर करके उसका स्वास्थ्य खतरे में डाल कर माँ के

खिलाफ। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक महिला को गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया जाएगा जब उसके गर्भ में एक कन्या होगी, केवल तभी जब एक अवैध लिंग-निर्धारण परीक्षण किया जाता है।

98. इस तथ्य के बावजूद कि विद्यमान अधिनियम स्पष्ट रूप से लिंग-चयनात्मक गर्भपात को प्रतिबंधित नहीं करता है, यह व्यापक रूप से माना जाता है कि इस विधि को लागू करने का मूल औचित्य कन्या भ्रूण हत्या की बुराई पर अंकुश लगाना था, जो लड़कों के लिए प्रथागत वरीयता पर आधारित था, जिसका अनुमान अधिनियम के उद्देश्य और कारणों के विवरण से भी लगाया जा सकता है। इस आधार का समर्थन विधेयक की प्रस्तुति के दौरान संसद में बहस द्वारा किया गया है जो बाद में वर्तमान अधिनियम के रूप में समाप्त हो गया था। इस अधिनियम को इस धारणा के साथ तैयार किया गया था कि यदि अजन्मे बच्चे का लिंग ज्ञात नहीं है, तो महिला भ्रूण गर्भपात की कोई घटना नहीं होगी। हालाँकि, यह समझा गया था कि गर्भपात अभी भी लिंग से संबंधित कारणों से किया जा सकता है।

99. **यह न्यायालय उस गहन संघर्ष से अवगत है जो उन महिलाओं को पीड़ित करता है जो बेटे पैदा करने के लिए सामाजिक और पारिवारिक दबाव और बेटे को जन्म न देने के लिए भावनात्मक तनाव और नैतिक अनिश्चितता का अनुभव करती हैं।**

100. इसके अतिरिक्त, पीसी व पीएनडीटी अधिनियम के तहत दोषसिद्धि

की कम दर एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है, क्योंकि प्रसव पूर्व लिंग निदान को प्रतिबंधित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। अल्ट्रासोनोग्राफी और अन्य परीक्षण अब विभिन्न रूपों में व्यापक रूप से उपलब्ध हैं, जिससे वर्तमान विधि के उल्लंघन को साबित करना और अभियोजित करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। विधि और प्रक्रिया के बारे में जागरूकता की कमी ने विधि को उसके वर्तमान रूप में लागू करने में कठिनाइयों के दोहन और मुद्दे की जटिलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

101. **लिंग निर्धारण आधारित गर्भपात लैंगिक असमानताओं को कायम रखने का एक शक्तिशाली तरीका है। भ्रूण लिंग जानकारी तक पहुंच का प्रतिबंध सीधे तौर पर स्त्री-द्वेष की समस्या से संबंधित है**, जो न केवल इस देश में बल्कि विश्व स्तर पर भी सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं को प्रभावित करता है। **लिंग या लिंग के ज्ञान को नियंत्रित करने का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और उनके अजन्मे बच्चे की रक्षा करना है।** इस तथ्य के बावजूद कि वर्तमान अधिनियम में लिंग-चयनात्मक गर्भपात तुरंत स्पष्ट नहीं हो सकता है, इसका प्राथमिक उद्देश्य इस मुद्दे को संबोधित करना है। **इस इतिहास और संदर्भ को देखते हुए, यह आवश्यक है कि अधिनियम को अधिक सावधानी के साथ लागू किया जाए और प्रभावित लोगों द्वारा इसका उपयोग किया जाए।**

<u>निष्कर्ष और निर्देश</u>

102. यद्यपि हमारे देश ने लैंगिक समानता प्राप्त करने की दिशा में काफी प्रगति की है, फिर भी लिंग निर्धारण हेतु प्राथमिकता अभी भी अस्तित्व में है। इस पक्षपात को समाप्त करने के प्रयासों के बावजूद, इसे पूरी तरह से समाप्त करना चुनौतीपूर्ण रहा है। यह बयान वर्तमान विधान की प्रभावशीलता पर जोर देने के लिए दिया जा रहा है और इस न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणियों का आशय समाज पर मौजूदा कानूनों और विनियमों के प्रभाव को उजागर करना है। इस न्यायालय का उद्देश्य यह प्रदर्शित करना है कि इन कानूनों ने लोगों के दैनिक जीवन में उनके व्यवहार को कैसे प्रभावित किया है। प्रगति के बावजूद, यह सुनिश्चित करने के लिए अभी भी काम किया जाना बाकी है कि लैंगिक भेदभाव और लिंग निर्धारण परीक्षण पूरी तरह से समाप्त हो जाए।

103. यद्यपि पीसी व पीएनडीटी अधिनियम को घटते बाल लिंग-अनुपात और महिला सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था, लेकिन अधिनियम के अधिनियमन के पीछे के उद्देश्य को समझा नहीं गया है और इसकी वास्तविक भावना में लागू नहीं किया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि पिछले कई अवसरों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया था और बारंबार निर्देश पारित किए गए थे, अधिनियम के तहत आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने में अधिकारियों की ओर से खामियां अक्सर न्यायालयों के समक्ष

उद्भूत होती हैं, जैसा कि वर्तमान मामले में भी दृश्यमान है।

104. इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय, इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विचाराधीन अधिनियम का उद्देश्य प्राप्त किया गया है, निम्नलिखित निर्देश पारित करता हैः

i. इस निर्णय की अंतर्वस्तु और इसमें ऊपर की गई टिप्पणियों को (i) विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, (ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, (iv) दिल्ली पुलिस आयुक्त और (v) निदेशक (अकादमिक), दिल्ली न्यायिक अकादमी के ध्यान में लाया जाए।

ii. पीसी व पीएनडीटी अधिनियम और नियमों की अंतर्वस्तु को अधिनियम की धारा 28 के विशिष्ट अनिवार्य प्रावधानों के बारे में जिला उपयुक्त प्राधिकरणों, जांच अधिकारियों के साथ-साथ अभियोजकों के ध्यान में लाया जाना चाहिए और अधिनियम के तहत दायर की गई शिकायत सुनिश्चित करने के लिए कि क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

iii. पीसी व पीएनडीटी अधिनियम के आदेश का प्रभावी अनुपालन और प्राधिकरणों के अधिकारियों के बीच बेहतर संचार सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्राधिकरणों के बीच उनके कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए।

iv. पीसी और पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रम

आयोजित किए जा सकते हैं।

v. वर्तमान में, जिला उपयुक्त प्राधिकरणों का विवरण आसानी से उपलब्ध नहीं है या आम आदमी को ज्ञात नहीं है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या ऐसे उपयुक्त अधिकारियों का कोई कार्यालय या वेबसाइट है जहाँ शिकायत दर्ज की जा सकती है या किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उनके कार्यालय जाना है या नहीं। आज की प्रौद्योगिकी की दुनिया में, यह उचित होगा कि इस उद्देश्य के लिए ऑनलाइन पोर्टल और वेबसाइटें बनाई जाएं, यदि अभी तक नहीं की गई हैं, तो आम जनता को इस तरह की शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया, स्थान और तंत्र के बारे में अधिसूचित तथा सूचित किया जाए।

vi. उपयुक्त प्राधिकरण का गठन, ई-मेल आईडी और फोन नंबर सहित उनके संपर्क विवरण, जहां शिकायत की जा सकती है, का उल्लेख सभी अस्पतालों और क्लीनिकों में ध्यानाकर्षी स्थानों पर भी किया जा सकता है, जहां अल्ट्रासोनोग्राफी या अन्य प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों की सुविधा उपलब्ध है या किया जा रहा है, या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं विधि और न्याय मंत्रालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझा जाने वाला कोई अन्य स्थान कि आम आदमी को किसी शिकायत पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सक्षम नहीं होने वाले अनुचित प्राधिकारी के पास शिकायत दर्ज करने के लिए गुमराह नहीं किया जाए।

vii. दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति और विधि महाविद्यालय अपनी विधिक सहायता समितियों द्वारा लोगों को

अनिवार्य प्रावधान और इस तथ्य के बारे में शिक्षित और सूचित कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए शिकायत दर्ज करना चाहता है, तो शिकायत या तो उपयुक्त प्राधिकरण या अधिनियम की धारा 28 के आदेश के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति के पास दर्ज की जानी चाहिए।

105. केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त निर्देशों के अनुसार ऐसे कदम उठाए जाएं और **तीन माह के भीतर** अनुपालन दायर किया जाए।

106. यह न्यायालय यह भी स्पष्ट करता है कि यह न्यायालय कोई नई विधि या 'न्यायिक विधान' नहीं बना रहा है, बल्कि संबंधित अधिकारियों को अधिनियम में व्याप्त असंदिग्धताओं की ओर इशारा कर रहा है, ताकि वे इससे उचित तरीके से निपट सकें, क्योंकि वर्तमान अधिनियम को लागू करने का उद्देश्य ही अधिकांश मामलों में लोगों, पुलिस के साथ-साथ अधिनियम के तहत संबंधित अधिकारियों के प्रति जागरूकता की कमी के कारण परास्त हो रहा है।

107. जहाँ तक याचिकाकर्ता की प्रार्थनाओं का संबंध है, उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि -

i. पीसी व पीएनडीटी अधिनियम की धारा 28 के तहत उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा दायर किसी भी शिकायत की अनुपस्थिति में

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 11.10.2019 के माध्यम से लिया गया संज्ञान कानून में गलत था, और इस प्रकार, आदेश दिनांकित 11.10.2019 को दरकिनार किया जाता है।

ii. हालाँकि, प्राथमिकी को अपास्त करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है क्योंकि उपयुक्त प्राधिकरण या उसकी ओर से संज्ञेय अपराध का खुलासा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर प्राथमिकी का पंजीकरण, जांच का संचालन और आरोप पत्र करना करना पीसी व पीएनडीटी अधिनियम के तहत वर्जित नहीं है।

108. इस मामले में, उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा दिनांक 02.09.2020 को अधिनियम की धारा 23 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे अब शिकायतकर्ता के साक्ष्य के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है, जिसके समक्ष वर्तमान प्राथमिकी भी लंबित है, जिसमें इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेश दिनांकित 11.10.2019 के माध्यम से संज्ञान लिया गया है। इसे ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि शिकायत को उसके तार्किक अंत तक लाने के लिए, इस मामले में की गई जांच को अस्वीकार कर, जो उपयुक्त आदेश की ओर से पुलिस में दर्ज की गई मूल शिकायत पर शुरू की गई थी, न्याय का उपहास होगा।

109. इसलिए, यह न्यायालय अभिनिर्धारित करता है कि इस मामले में की गई जांच उपयुक्त प्राधिकरण के अनुरोध पर 'सहायता प्राप्त जांच' थी, और चूंकि उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा दायर शिकायत पहले से ही एक अलग

शिकायत मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है, वर्तमान मामले में पुलिस जांच को उक्त शिकायत मामले में विलय कर दिया जाए। याचिकाकर्ता को विधि के अनुसार मामलों को संयोजित करने के लिए विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एक उपयुक्त आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

110. यदि वाद के अंत में, याचिकाकर्ता को इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और सजा सुनाई जाती है, तो वह अवधि जिसके लिए याचिकाकर्ता वर्तमान प्राथमिकी दर्ज करने के अनुसरण में न्यायिक हिरासत में रहा था, उसे दी गई सजा की अवधि में छूट प्रदान की जाएगी।

111. तदनुसार, वर्तमान याचिका, लंबित आवेदन के साथ, उपरोक्त शर्तों में निपटाई जाती है।

112. इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय की रजिस्ट्री को सूचनार्थ प्रेषित की जाए। एक प्रति सूचना तथा अनुपालन हेतु (i) विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, (ii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, (iii) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, (iv) पुलिस आयुक्त, दिल्ली और (v) निदेशक (अकादमिक), दिल्ली न्यायिक अकादमी को भी अग्रेषित की जाए।

113. निर्णय को तुरंत वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

सुश्री स्वर्ण कांत शर्मा, न्या.

24 अप्रैल 2023/ज़ैडपी

Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*